# न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : **203/07 (वाद)**
**GCMS No. : 2007/00093**

1. श्री प्रताप उर्फ रामप्रताप पिता गोपाल कुलमी निवासी डबोक हाल नपनखेडी तह. जीरन जिला नीमच। **मृतक के बजाय :–**

1/1 श्रीमती जानीबाई पत्नी प्रताप उर्फ रामप्रताप पाटीदार, कुलमी निवासी डबोक हाल नपनखेडी तह. जीरन जिला नीमच।

1/2 श्री रामेश्वर पिता प्रताप उर्फ रामप्रताप पाटीदार, कुलमी निवासी डबोक हाल नपनखेडी तह. जीरन जिला नीमच।

1/3 श्री दयाराम पिता प्रताप उर्फ रामप्रताप पाटीदार, कुलमी निवासी डबोक हाल नपनखेडी तह. जीरन जिला नीमच।

1/4 कौशल्या बाई पुत्री प्रताप उर्फ रामप्रताप पाटीदार, कुलमी निवासी डबोक हाल नपनखेडी तह. जीरन जिला नीमच।

1/5 मुन्नाबाई पुत्री प्रताप उर्फ रामप्रताप पाटीदार, कुलमी निवासी डबोक हाल नपनखेडी तह. जीरन जिला नीमच।

2. श्री हिरालाल के बजाय भंवरीबाई पुत्री हीरालाल पत्नी नानालाल कुलमी निवासी पानमहुडी तह. प्रतापगढ।

...........वादीगण

**बनाम्**

1. श्री नारायण पिता गोपाल कुलमी निवासी डबोक तह. मावली। (**अबेट किया गया**)
2. श्री नन्दलाल पिता मांगीलाल कुलमी निवासी डबोक तह. मावली।
3. श्री राजु पिता मांगीलाल कुलमी निवासी डबोक तह. मावली।
4. लीला पुत्री प्रेमचन्द पत्नी बसन्तीलाल कुलमी निवासी डबोक तह. मावली।
5. दिशा पुत्री भुरीलाल पत्नी भरत कुलमी निवासी डबोक तह. मावली।
6. मु. भंवरीबाई पत्नी मांगीलाल कुलमी निवासी डबोक तह. मावली।
7. मु. शकुन्तला पत्नी भुरीलाल कुलमी निवासी डबोक तह. मावली।
8. श्रीमती शान्ता देवी पत्नी शंकरलाल पाहुजा निवासी 10 बी जवाहरनगर उदयपुर।
9. श्री दिलीप पिता भुरीलाल कुलमी निवासी डबोक तह. मावली।
10. श्री गुलशन इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर रमेश कुमार पिता बालचन्द पहलवानी निवासी 27 सर्वऋतु विलास उदयपुर।
11. श्री रमेश कुमार पिता बालचन्द पहलवानी निवासी 27 सर्वऋतु विलास उदयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.31 17:29:04 IST
Reason: SelfAttested

.....प्रतिवादीगण

**उपस्थित–1.** श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता वादीगण।

## <u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

# <u>निर्णय</u>

**दिनांक : 28.08.2023**

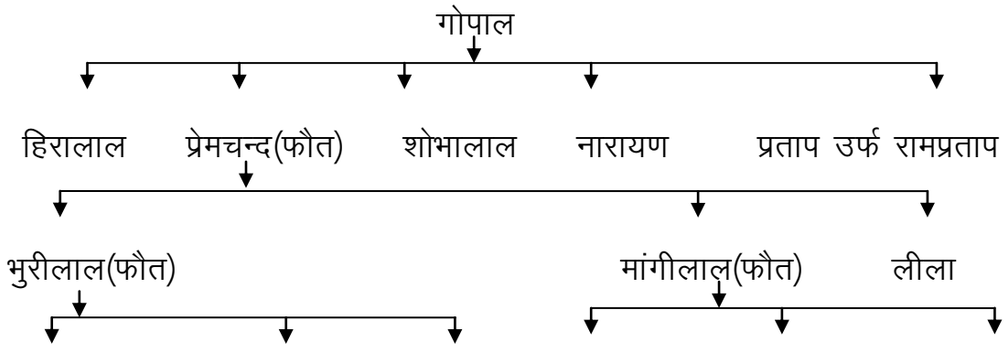

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही खानदान के होकर भाई गरासीया है तथा हमारे खानदान का सजरा निम्न प्रकार हैं :–




2. यह कि उपरोक्त सजरे अनुसार हमारे मूल पुरूष गोपाल जी थे, जिनके पांच लडके हुए जो हिरालाल, प्रेमचन्द, शोभालाल, नारायण व प्रताप उर्फ रामप्रताप हैं। इसमें से प्रेमचन्द व शोभालाल का देहावसान हो चुका है। शोभालाल के कोई लडके लडकी नहीं हैं उसका हिस्सा नारायण के अन्दर वेस्ट हो चुका हैं। शोभालाल के कोई लडके लडकी नहीं हैं। प्रेमचन्द जी के दो लडके भुरीलाल, मांगीलाल व एक लडकी लीला हैं। इसमें भी भुरीलाल का स्वर्गवास हो चुका हैं। भुरीलाल की पत्नी शान्ताबाई मौजूद है तथा उसका लडका दिलीप मौजूद है तथा लडकी दिशा मौजूद है। इसी तरह मांगीलाल के पीछे उसका लडका नन्दलाल व राजू मौजूद हैं तथा उसकी पत्नी भंवरीबाई मौजूद हैं।

3. यह कि मौजा डबोक तह. मावली में स्थित साबिक सेटलमेन्ट की आराजी नम्बर 1723/2 मीन रकबा 20 बीघा पूर्व में सुखलाल पिता नवला 1/2, हिरालाल 1/10, प्रेमचन्द 1/10, रामप्रताप 1/10, नारायण 1/5 पिता गोपाल कुलमी सा. देह के नाम पर खातेदारी हक से अंकित थी और उसी अनुसार हमारा कब्जा संयुक्त रूप से चला आ रहा था।

4. यह कि बाद में मावली तहसील का सेटलमेन्ट हुआ उसमें उक्त आराजी नम्बर 1723/2 के नए नम्बर 2705 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 2709 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा तथा आराजी नम्बर 271[illegible] रकबा [illegible]0 बीघा 15 बिस्वा पडे। उक्त कुलिया नम्बर भी साबिक सेटलमेन्ट के अनुसार ही [illegible] सुखलाल पिता नवला 1/2, हिरालाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.31 17:29:04 IST
Reason: SelfAttested

1/10, प्रेमचन्द 1/10, प्रताप 1/10, नारायण 1/5 दर्ज होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं होकर सेटलमेन्ट अधिकारियों ने मन मकसूद बिना किसी अधिकार के आराजी नम्बर 2705 प्रेमचन्द के नाम पर दर्ज कर दिया तथा आराजी नम्बर 2709 प्रतिवादीगण नारायण के नाम पर दर्ज कर दिया तथा 2710 जैसे पूर्व में सेटलमेन्ट में था वैसा ही रखा इस तरह आराजी नम्बर 2705 व 2709 जो वर्तमान में भुरीलाल, मांगीलाल पिता प्रेमचन्द, लीला पुत्री प्रेमचन्द के नाम पर 2705 हैं तथा इसमें से बिकाव से 1/2 हिस्सा श्री शान्तादेवी पत्नी शंकरलाल पाहुजा जो प्रतिवादी सं. 8 है उसके नाम पर दर्ज कर दिया गया है तथा आराजी नम्बर 2709 अकेले प्रतिवादी सं. 1 नारायण के नाम पर दर्ज कर दी गई है, जो हमारे मुकाबले बेअसर व शुन्य है और हम वादीगण उक्त दोनों आराजीयात में जो हमारा 1/10–1/10 हिस्सा है, वह रेकार्ड में दर्ज कराने एवं खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी है। चूंकि आराजी नम्बर 2710 में पुराने सेटलमेन्ट के अनुसार ही सब का हिस्सा दर्ज कर रखा है ऐसी अवस्था में इसके लिए हमारा कोई वाद नहीं हैं।

5. यह कि खातेदार भुरीलाल एवं मांगीलाल भी स्वर्गवासी हो गए है। इसलिए उनके बजाय उनके वारिस प्रतिवादीगण सं. 2 से लगाकर 7 तक व प्रतिवादी सं. 9 को बनाया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 8 खरीददार है इसलिए उसको भी प्रतिवादीगण बनाया गया है।

6. यह कि वर्तमान में उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम पर है इसलिए उनके मन में लोभ व लालच की भावना जागृत हो गई है और वे उक्त आराजीयात को अन्य को मुन्तकिल करना चाह रहे है तथा हमारे संयुक्त आधिपत्य में दखलन्दाजी करने पर तुले हुए है इसलिए हम वादीगण उनके विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी कराने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात को किसी अन्य को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करें तथा हमारे शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा नहीं डाले हमे शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

7. यह कि बिनाय मुखासमत वाद दिनांक 01.07.07 को उत्पन्न हुई जब प्रतिवादीगण ने हमको धमकी दी कि इन आराजीयात में आपका कोई लेना देना नहीं है हमारे अकेले की है उसके बाद हमने रेकार्ड देखा तब उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी हैं।

8. यह कि सेटलमेन्ट अधिकारियों को बिना किसी आदेश के पूर्व के इन्द्राज को यथावत रखने का ही कानून है उसको बदलने का नहीं और उन्होने बदल दिया है, वह अपने आप में शून्य है हमारे उपर कोई असर नहीं हैं।

9. अतः प्रार्थना है कि हम वादीगण के प[illegible] घोषणा करायी जावे कि मौजा डबोक की आराजी नम्बर 2709 व 2705 में हम [illegible]ण प्रत्येक का 1/10–1/10 हिस्सा घोषित फरमाया जाकर पूर्व के सेटलमेन्ट [illegible]नुसार रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.31 17:29:04 IST
Reason: SelfAttested

जावें। स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण किसी प्रकार से उक्त दोनों आराजीयात को मुन्तकिल नहीं करें, न रहन, बैह, बक्षीस इत्यादि से हस्तान्तरण करें हमें शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

10. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

11. प्रकरण में न्यायन निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई :–

    1. आया मौजा डबोक की आराजी नम्बर 2705, 2709 में वादीगण 1, 2 प्रत्येक का 1/10, 1/10 हिस्सा घोषित कराये जाने के अधिकारी है तथा पूर्व सेटलमेन्ट के अनुसार रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज करने के अधिकारी हैं।

       .........बजिम्मे वादीगण

    2. आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं।

       ..............बजिम्मे वादीगण

    3. आया वादीगण 61 वर्ष पूर्व अपने ससुराल नायनखेडी जिला नीमच (M.P.) चले गये और वहीं स्थाई निवास कर रहे है। वादीगण ने अपने खातेदारी व कब्जे की आराजी नम्बर 3612, 3765/2780 प्रतिवादी सं. 1 नारायण को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया था और शेष आराजीयात का हिस्सा भी अपने भाईयों को 61 वर्ष पूर्व कब्जा सुपुर्द कर दिया था।

       ..........बजिम्मे प्रतिवादी सं. 1

    4. आया वादग्रस्त आराजी संख्या 2709 पर प्रतिवादी संख्या 1 का 61 वर्षों से कब्जा होने से प्रतिवादी खातेदार काश्तकार घोषित कराये जाने के अधिकारी हैं।

       .........बजिम्मे प्रतिवादी सं. 1

    5. प्रतिवादीगण वादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं।

       ...........बजिम्मे प्रतिवादीगण

    6. अनुतोष।

12. प्रकरण में साक्ष्य वादीगण प्रारम्भ की गई। साक्ष्य वादीगण शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 श्री प्रताप उर्फ रामप्रताप, पी.डब्ल्यू–2 श्री नाथूलाल के शपथ पत्र पेश किये।

13. प्रकरण में वादीगण द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी आराजी नम्बर 2705 सम्वत् 2061 से 2064 प्रदर्श 1, जमाबन्दी आराजी नम्[illegible] 3562, 2710 सम्वत् 2061 से 2064 प्रदर्श 2, खसरा मिलान [illegible] प्रदर्श 3, खसरा गिरदावरी प्रदर्श 4, जमाबन्दी सेटलमेन्ट विभाग प्रदर्श 5 पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.31 17:29:04 IST
Reason: SelfAttested

14. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

15. हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न है:–

1. आया मौजा डबोक की आराजी नम्बर 2705, 2709 में वादीगण 1, 2 प्रत्येक का 1/10, 1/10 हिस्सा घोषित कराये जाने के अधिकारी है तथा पूर्व सेटलमेन्ट के अनुसार रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज करने के अधिकारी हैं।

   उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर रहा। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादीगण शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 श्री प्रताप उर्फ रामप्रताप, पी.डब्ल्यू–2 श्री नाथूलाल के शपथ पत्र पेश किये एवं वादपत्र के समर्थन में दस्तावेज जमाबन्दी आराजी नम्बर 2705 सम्वत् 2061 से 2064 प्रदर्श 1, जमाबन्दी आराजी नम्बर 2709, 3562, 2710 सम्वत् 2061 से 2064 प्रदर्श 2, खसरा मिलान पत्रक भूप्रबन्ध विभाग प्रदर्श 3, खसरा गिरदावरी प्रदर्श 4, जमाबन्दी सेटलमेन्ट विभाग प्रदर्श 5 पेश किये। जिसमें वादग्रस्त पूर्व में सुखलाल पिता नवला 1/2, हिरालाल 1/10, प्रेमचन्द 1/10, प्रताप 1/10, नारायण 1/5 पिता गोपाल कुलमी के नाम दर्ज थी जो दस्तावेज प्रदर्श 3, 4 से स्पष्ट हैं। वादीगण अपने नाम दर्ज भूमि बिना किसी आधार से हटाये जाने से पुनः अपने नाम दर्ज किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया। हैं। अतः वादीगण दस्तावेज प्रदर्श 3, 4 के आधार पर उक्त तनकी अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहे हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

2. आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं।

   उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर रहा। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादी सं. 1 व वादी सं. 2 के मौरूस के नाम पर दर्ज थी, जिसे सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा नाम से हटाये जाने से उक्त वादग्रस्त जमीन अन्य के नाम दर्ज हो गई। यदि उक्त वादग्रस्त आराजीयात विक्रय कर दिया जाता है तो वादीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः वादीगण उक्त तनकी को अपने पक्ष में आंशिक साबित कराने में सफल रहे हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में आंशिक निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.31 17:29:04 IST
Reason: SelfAttested

3. आया वादीगण 61 वर्ष पूर्व अपने ससुराल नायनखेडी जिला नीमच (M.P.) चले गये और वहीं स्थाई निवास कर रहे है। वादीगण ने अपने खातेदारी व कब्जे की आराजी नम्बर 3612, 3765/2780 प्रतिवादी सं. 1 नारायण को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया था और शेष आराजीयात का हिस्सा भी अपने भाईयों को 61 वर्ष पूर्व कब्जा सुपुर्द कर दिया था।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 1 पर रहा। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा ऐसा कोई गवाह एवं दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे उक्त तनकी प्रतिवादी सं. 1 अपने पक्ष में साबित करा सके। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

4. आया वादग्रस्त आराजी संख्या 2709 पर प्रतिवादी संख्या 1 का 61 वर्षो से कब्जा होने से प्रतिवादी खातेदार काश्तकार घोषित कराये जाने के अधिकारी हैं।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 1 पर रहा। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे उक्त तनकी को अपने पक्ष में साबित करा सके। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

5. प्रतिवादीगण वादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे उक्त तनकी को अपने पक्ष में साबित करा सके। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

16. हमने तनकीयों पर विवेचन किया। दस्तोवज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 1723/2 मीन पूर्व में सुखलाल पिता नवला 1/2, हिरालाल 1/10, प्रेमचन्द 1/10, प्रताप 1/10, नारायण 1/5 पिता गोपाल के नाम हिस्सेनुसार दर्ज थी जो दस्तोवज प्रदर्श 3, 4 से जाहिर होता हैं। साबिक आराजी नम्बर 1723/2 के नये नम्बर 2705, 2709, 2710 बने। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा आराजी नम्बर 2705 को अकेले प्रेमचन्द के नाम पर दर्ज थी वर्तमान में प्रेमचन्द का स्वर्गवास हो चुका है वर्तमान में आराजी नम्बर 2705 प्रेमचन्द के वारिस भुरीलाल, मांगीलाल, लीला के नाम दर्ज हैं। भुरीलाल, मांगीलाल का स्वर्गवास हो चुका है जिसके विधिक वारिस प्रतिवादी सं. 2, 3, 5 से 7, 9 [illegible]न्द के वारिस द्वारा कालान्तर में उक्त वादग्रस्त आराजीयात को प्रतिवादी सं. 8 को विक्रय कर दी। इसी तरह आराजी नम्बर 2709 अकेले नारायण प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कर दी। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.31 17:29:04 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी सं. 10 को विक्रय कर दी गई। शेष आराजी नम्बर 2710 को सेटलमेन्ट के पूर्व अनुसार ही रखा गया है वादीगण द्वारा आराजी नम्बर 2710 में किसी प्रकार की कोई दाद नहीं चाही गई हैं। वादी सं. 2 हिरालाल की पुत्री हैं।

17. वादीगण द्वारा सेटलमेन्ट से पूर्व अनुसार आराजी नम्बर 2705 व 2709 में अपना 1/10–1/10 हिस्सा अपने नाम दर्ज किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तोवज प्रदर्श 3, 4 से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में वादी सं. 1/1 से 1/5 व वादी सं. 2 के मौरूस के नाम दर्ज थी, जिसे सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना किसी आधार के आराजी नम्बर 2705 व 2709 में से वादी सं. 1/1 से 1/5 के मौरूस प्रताप उर्फ रामप्रताप एवं वादी सं. 2 के मौरूस हिरालाल का नाम हटा दिया गया हैं जिसे पुनः वादीगण अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण सेटलमेन्ट से पूर्व अपने नाम दर्ज भूमि अनुसार वादग्रस्त आराजीयात को पुनः अपने नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारीणी हैं।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

## –: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक की आराजी नम्बर 2705 व 2709 में वादीगण सं. 1/1 से 1/5 को संयुक्त रूप से 1/10 हिस्से व वादी सं. 2 को 1/10 हिस्से का (सेटलमेन्ट से पूर्व अनुसार) खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2023 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.31 17:29:04 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

## बईजलास श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री प्रताप उर्फ रामप्रताप पिता गोपाल कुलमी निवासी डबोक हाल नपनखेडी तह. जीरन जिला नीमच। **मृतक के बजाय :–**

1/1 श्रीमती जानीबाई पत्नी प्रताप उर्फ रामप्रताप पाटीदार, कुलमी निवासी डबोक हाल नपनखेडी तह. जीरन जिला नीमच।

1/2 श्री रामेश्वर पिता प्रताप उर्फ रामप्रताप पाटीदार, कुलमी निवासी डबोक हाल नपनखेडी तह. जीरन जिला नीमच।

1/3 श्री दयाराम पिता प्रताप उर्फ रामप्रताप पाटीदार, कुलमी निवासी डबोक हाल नपनखेडी तह. जीरन जिला नीमच।

1/4 कौशल्या बाई पुत्री प्रताप उर्फ रामप्रताप पाटीदार, कुलमी निवासी डबोक हाल नपनखेडी तह. जीरन जिला नीमच।

1/5 मुन्नाबाई पुत्री प्रताप उर्फ रामप्रताप पाटीदार, कुलमी निवासी डबोक हाल नपनखेडी तह. जीरन जिला नीमच।

2. श्री हिरालाल के बजाय भंवरीबाई पुत्री हीरालाल पत्नी नानालाल कुलमी निवासी पानमहुडी तह. प्रतापगढ।

...........वादीगण

**बनाम्**

1. श्री नारायण पिता गोपाल कुलमी निवासी डबोक तह. मावली। (**अबेट किया गया**)
2. श्री नन्दलाल पिता मांगीलाल कुलमी निवासी डबोक तह. मावली।
3. श्री राजु पिता मांगीलाल कुलमी निवासी डबोक तह. मावली।
4. लीला पुत्री प्रेमचन्द पत्नी बसन्तीलाल कुलमी निवासी डबोक तह. मावली।
5. दिशा पुत्री भुरीलाल पत्नी भरत कुलमी निवासी डबोक तह. मावली।
6. मु. भंवरीबाई पत्नी मांगीलाल कुलमी निवासी डबोक तह. मावली।
7. मु. शकुन्तला पत्नी भुरीलाल कुलमी निवासी डबोक तह. मावली।
8. श्रीमती शान्ता देवी पत्नी शंकरलाल पाहुजा निवासी 10 बी जवाहरनगर उदयपुर।
9. श्री दिलीप पिता भुरीलाल कुलमी निवासी डबोक तह. मावली।
10. श्री गुलशन इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर रमेश कुमार पिता बालचन्द पहलवानी निवासी 27 सर्वेऋतु विलास उदयपुर।
11. श्री रमेश कुमार पिता बालचन्द पहलवानी निवासी 27 सर्वेऋतु विलास उदयपुर।

..............प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.31 17:29:04 IST
Reason: SelfAttested

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम**
**मुकदमा न0 : 203/07 (वाद) GCMS No. : 2007/00093**

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक की आराजी नम्बर 2705 व 2709 में वादीगण सं. 1/1 से 1/5 को संयुक्त रूप से 1/10 हिस्से व वादी सं. 2 को 1/10 हिस्से का (सेटलमेन्ट से पूर्व अनुसार) खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.08.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.31 17:29:04 IST
Reason: SelfAttested